# अनुदान संख्या 57 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
# GRANT No. 57–MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| राजस्वः | **Revenue:** | | | | |
| स्वीक्त- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 4852,94,00 | 4898,48,00 | 4770,39,53 | –128,08,47 |
| पूरक | Supplementary | 45,54,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 124,14,83 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान में, कुल बचतें (12808.47 लाख रु.) दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 4554.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the grant, the overall savings (Rs.12808.47 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.4554.00 lakhs obtained in December, 2006 and March, 2007 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | Major Head "2235" Social Security and Welfare | | | | |
| मू. | O. | 26384.00 | 28357.32 | 28015.82 | –341.50 |
| पू. | S. | 1923.00 | | | |
| पु. | R. | 50.32 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2252'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 47959.00 | 1.00 | . . | –1.00 |
| पू. | S. | 351.00 | | | |
| पु. | R. | –48309.00 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 405345.00 | | | |
| पू. | S. | 2070.00 | 444427.55 | 444426.79 | –0.76 |
| पु. | R. | 37012.55 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | | |
| मू. | O. | 3365.00 | | | |
| पू. | S. | 210.00 | 2553.39 | 2553.39 | . . |
| पु. | R. | –1021.61 | | | |

(I) 48474.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) पैंतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 47877.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण'' - 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''समाज कल्याण - बाल कल्याण'' -

(i) ''कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम'' - 900.00 लाख रु.;

(ii) ''एकीकृत बाल विकास सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान'' - 870.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.48474.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under thirty five heads; of these Rs.47877.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Correctional Services - Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" - supplementary grant of Rs.20.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare - Child Welfare" -

(i) "Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers" - Rs.900.00 lakhs;

(ii) "Grants under Training Programme of ICDS" - Rs.870.00 lakhs;

(iii) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 44676.00 लाख रु.;

(iv) ''देश में गोद लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए शिशु एवं बाल गृहों को सहायता'' - 50.50 लाख रु. का पूरक अनुदान;

(v) ''बेघर बच्चों के लिए स्कीम'' - 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान;

(ख) ''समाज कल्याण - महिला कल्याण'' -

(i) अल्पवास गृहों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 160.00 लाख रु.;

(ii) ''प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता'' - 250.00 लाख रु.;

(iii) ''केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड'' - 200.00 लाख रु.;

(iv) ''स्वयंसिद्ध'' - 300.00 लाख रु.;

(ग) ''समाज कल्याण - अन्य व्यय - सूचना, प्रचार माध्यम और प्रकाशन'' - 150.00 लाख रु.; और

(घ) ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण'' - 200.50 लाख रु. का पूरक अनुदान।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - बाल कल्याण - बेघर बच्चों के लिए स्कीम'' - 1200.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध

(iii) "Integrated Child Development Services" - Rs.44676.00 lakhs;

(iv) "Assistance to Homes for Infant and Young Children for Promoting In-country Adoption" - supplementary grant of Rs.50.50 lakhs;

(v) "Scheme for Street Children" - supplementary grant of Rs.100.00 lakhs;

(b) "Social Welfare - Women's Welfare" -

(i) "Assistance to Voluntary Organisation for setting up of Short Stay homes" - Rs.160.00 lakhs;

(ii) "Support to Training and Employment Programme" - Rs.250.00 lakhs;

(iii) "Central Social Welfare Board" - Rs.200.00 lakhs;

(iv) "Swayamsiddha" - Rs.300.00 lakhs;

(c) "Social Welfare - Other Expenditure – Information, Media and Publication" - Rs.150.00 lakhs; and

(d) "Social Welfare - Correctional Services - Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" - supplementary grant of Rs.200.50 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Child Welfare - Scheme for Street Children" - funds of Rs.1200.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained

कराई गईं थीं, तथापि, जो पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण 196.38 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

unutilised to the extent of Rs.196.38 lakhs - due to non-receipt of complete proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के अपसमायोजन से बचाव और नियंत्रण'' - 210.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थी, तथापि, जो पूरे प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण 81.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare - Correctional Services - Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" - funds of Rs.210.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.81.28 lakhs - due to receipt of less number of complete proposals.

(III) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''बाल कल्याण'' -

(क) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 139.18 लाख रु. की बचत (2077.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपूर्ण प्रस्तावों और आंगनबाड़ी कामगारों को कम पुरस्कार दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''विश्व बैंक से सहायताप्राप्त एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - 166.13 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्रों और लेखापरीक्षित लेखे के न होने की वजह से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Child Welfare" -

(a) "Integrated Child Development Services" – saving of Rs.139.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2077.00 lakhs) was due to incomplete proposals and less number of award given to Anganwadi Workers.

(b) "World Bank Assisted ICDS Training Programme" -saving of Rs.166.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals for want of utilisation certificates and audited accounts.

(खा) ''महिला कल्याण'' -

(क) ''स्व-शक्ति परियोजना'' - 190.92 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायालय का निर्णय लंबित होने की वजह से व्यय न होने के कारण हुई।

(ख) ''स्वयंसिद्ध'' - 222.66 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम राज्य सरकार को अंतरित किए जाने और साथ ही उपयोग प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यकताएं प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Women's Welfare" -

(a) "Swa-Shakti Project" - saving of Rs.190.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-incurrence of expenditure pending court judgement.

(b) "Swayamsidha" - saving of Rs.222.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to transfer of the scheme to State Government and also on account of non-receipt of utilisation certificate and other requirements.

(गा) ''अन्य व्यय - सूचना प्रचार माध्यम और प्रकाशन'' - 176.08 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान'' के अंतर्गत 827.83 लाख रु. की बचत ( 7330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' के अंतर्गत 856.60 लाख रु. की बचत (3212.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत 265.29 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (78.49 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - अन्य व्यय - विविध स्कीमें'' के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 76.88 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण'' -

(क) ''बाल कल्याण - कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम'' - 535.38 लाख रु. का अधिक व्यय (9400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''महिला कल्याण'' -

(i) ''अल्पवास गृहों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 105.35 लाख रु. का अधिक व्यय

(C) "Other Expenditure - Information Media and Publication" - saving of Rs.176.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs) was due to less expenditure incurred by Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Social Welfare - Child Welfare - Grants under Training Programme of ICDS" - saving of Rs.827.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7330.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from the State Governments.

(V) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare - Child Welfare - Integrated Child Development Services" - saving of Rs.856.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3212.00 lakhs) was due to receipt of less number of complete proposals.

(VI) Under four heads savings of Rs.265.29 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 56 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.78.49 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.2.00 lakhs under Major Head "2235" – "Social Welfare - Other Expenditure - Miscellaneous Schemes". Actual excess, however, was Rs.76.88 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" – "Social Welfare" -

(a) "Child Welfare- Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers" - excess of Rs.535.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9400.00 lakhs);

(b) "Women's Welfare" -

(i) "Assistance to Voluntary Organisations for Setting up Short Stay Homes" – excess of

(1590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता'' - 247.66 लाख रु. का अधिक व्यय (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''समाज कल्याण - महिला कल्याण - स्वयंसिद्ध'' - 384.34 लाख रु. का अधिक व्यय (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''समाज कल्याण - बाल कल्याण'' -

(i) ''विश्व बैंक से सहायताप्राप्त एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम - सामान्य संघटक'' - 12262.84 लाख रु. का अधिक व्यय (125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(ii) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 25216.19 लाख रु. का अधिक व्यय (395487.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 145.46 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 12 प्रतिशत था।

Rs.105.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1590.00 lakhs); and

(ii) "Support to Training and Employment Programme" – excess of Rs.247.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Social Welfare - Women's Welfare - Swayamsidha" - excess of Rs.384.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs); and

(b) "Social Welfare - Child Welfare" -

(i) "World Bank Assisted ICDS Programmes - General Component" - excess of Rs.12262.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.125.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to additional requirement of funds to meet committed liabilities.

(ii) "Integrated Child Development Services" - excess of Rs.25216.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.395487.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.145.46 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 11 percent and 12 percent of the sanctioned provision.